संख्या-105/2018/3580 ई-2/तेरह-2018-73/2014टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 नवम्बर,2018

विषय:-मेसर्स राणा शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद में 80 किली0 प्रतिदिन क्षमता की औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन हेतु आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-81/दो-प्रा0डी0-157/मे0 राणा शुगर्स, दिनांक 30 अक्टूबर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 30 अक्टूबर,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित के दृष्टिगत मेसर्स राणा शुगर्स लि0, बेलवाड़ा, मुरादाबाद को 80 किली0 प्रतिदिन क्षमता अर्थात् वर्ष में 240 लाख लीटर क्षमता की आसवनी, जिसके अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से निर्गत क्लीयरेन्स में अनुमन्य वर्ष में 270 कार्य दिवस के आधार पर बाजार की मांग के अनुसार 216 लाख लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट अथवा 76.56 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 206.71 लाख लीटर ई0एन0ए0 अथवा 76 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 205.20 लाख लीटर अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति एतद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा आसवनी की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in